UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

TC-12V, Vibhuti Khand,Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831 Fax:0522-2720764 Email: info@uppcb.com Website: www.uppcb.com

Ref. No : 11/UPPCB/Circle1(UPPCBHO)/Battery/HAPUR/2024

Dated :30/07/2024

To,

M/s BRP INFOTECH PVTLTD

PLOT NO. F-213, MASURI GULAWATI ROAD, INDUSTRIAL AREA,HAPUR,,HAPUR,245101

Tehsil : Hapur

District : HAPUR

Subject -: Registration for recycling and/or refurbishment of waste batteries in line with provisions under Batteries Waste management Rules, 2022.

(i) Your application number for registration 27357723 and dt. 23/07/2024.

(ii) The registration shall be valid from 30/07/2024 to 29/07/2028.

M/s BRP INFOTECH PVTLTD is hereby granted registration for recycling and/or refurbishment of waste batteries in line with provisions under Batteries Waste management Rules, 2022.

Any violation of the provision(s) of the Batteries Waste Management Rules, 2022 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act,1986(29 of 1986).

Specific Conditions

1. Ensure that the used batteries are collected back as per the Schedule against new batteries sold;
2. Give appropriate discount for every used battery returned by the consumer;
3. Ensure that used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;
4. File half-yearly returns of the sale of new batteries and buy-back of old batteries to the manufacturer in Form-V by 31st May and 30th November of every year;
5. Ensure safe transportation of collected batteries to the designated collection centers or to the registered recyclers; and
6. Ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of used batteries.
7. The transportation of Hazardous waste and other waste will be done as per the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.
8. The actual user will ensure that the emission/effluent/hazardous waste if any are treated and disposed as per the prescribed norms. The actual user should have valid Air, Water consent Air Act, 1981 and Water Act, 1974 respectively and authorization under Hazardous & other Waste (Management & Trans Boundary Movement) Rules, 2016.
9. Battery dealer shall inform U.P. Pollution Control Board as soon as the waste arrives at port and send quarterly report at U.P. Pollution Control Board.
10. Any direction issued by U.P. Pollution Control Board shall be complied with.
11. The applicability of Registration is subject to direction issued by Moef, Govt. of India.

Vikas Mishra

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 2024.07.30 18:51:49 +05'30'

(Authorized Signatory)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Copy to: To the Regional Officer, U.P.Pollution Control Board, CEO-1, UPPCB, LUCKNOW. for information and necessary action .

Vikas Mishra
Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 2024.07.30 18:52:02 +05'30'

CEO/EE, I/C Circle 1

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

<u>जनसहभागिता का सन्देश</u>

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |